फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

हंसराज बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा– दावा मु0नं0– 88/2020

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.03.2026	पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण ग्राम मीना सीमला तह0 सिकराय जिला दौसा के रहने वाले है, वाके रामा मीना सीमला तह0 सिकराय की राजस्व सीमा में खसरा नंबर 202, 386, 387, 388, 390, 391, 76, 86 वादीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि है। उक्त भूमि मुतदाविया के संवत 2069 में भू प्रबंध विभाग द्वारा किये गये एकीकरण से पहले खसरा नंबर 47, 56, 139, 228, 230/3 थे। वादीगण की भूमि मुतदाविया से सटती हुयी चारागाह भूमि खसरा नंबर 382, पुराने नंबर 198 दर्ज व स्थित है जिसे माननीय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा के आदेश से नामान्तकरण संख्या 662 दिनांक 05.08.2015 में उक्त खसरा नंबर 198 में से 18 बिस्वा भूमि गै0मु0 रास्ता के नाम दर्ज व स्वीकार हुयी। उक्त गै0मु0 रास्ता की तरमीम नक्शाशीट में की गयी व राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में उसका उल्लेख किया गया। उक्त गै0मु0 रास्ते में से विधायक कोंष से ग्राम पंचायत मीना सीमला कार्यकारी एजेन्सी के मार्फत बालाजी मोड से बालाजी तक जाने वाली सडक से सडक सीमा छोडते हुये वादीगण की खातेदारी भूमि तक जंहा पर वादीगण निवास भी करते है तक सीमेन्टेड सडक का निर्माण कियागया जो आज दिन तक मौके पर मौजूद है। लेकिन एकीकरण विभाग के कर्मचारियों द्वारा गलत नक्शा कायम कर दिया गया है। भू प्रबंध विभाग को यह अधिकार प्राप्त नहीं था कि वह बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना नक्शाशीट में हेरा फेरी करें। इसलिए दावा वादीगण स्वीकार कर एकीकरण पूर्व नक्शे अनुसार विवादित भूमि के नक्शे की तरमीम के आदेश प्रदान किए जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी तहसीलदार सिकराय से प्रकरण में जवाब तलब किया गया। रिपोर्ट अनुसार ग्राम मीना सीमला के खसरा नंबर 387 रकबा 0.01 है0 किस्म गै0मु0 बोरिंग, खसरा नंबर 388 रकबा 0.22 है0, खसरा नंबर 390 रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 391 रकबा 0.30 है0 खातेदारी हसंराज पुत्र कजोड जाति मीना निवासी मीना सीमला राजस्व रिकार्ड दर्ज है। उक्त चारों हाल नंबरों का साबिक खसरा नंबर 230/3 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा खातेदार कजोड पुत्र विश्वपाल कौम मीनासा0देह दर्ज था। भू प्रबंध विभाग द्वारा उक्त साबिक खसरा नंबर के 4 नंबर बना दिये गये है जो कि पूर्व रिकॉर्ड अनुसार गलत है। खसरा नंबर 387 वर्तमान में नक्शाशीट में रास्तानुमा आकृति में बना हुआ है जबकि जमाबंदी खसरा नंबर 387 रकबा 0.01 है0 किस्म गै0मु0 बोरिंग दर्ज रिकॉर्ड है। पुरानी नक्शाशीट के अनुसार हाल खसरा नंबर 391 रकबा 0.30 है0 में खसरा नंबर 387 एवं 388 को सम्मिलित करते हुए 1 नंबर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना उचित होगा। उक्त खसरा नंबर की तरमीम दुरूस्ती पूर्व खसरा नंबर 230/3 रकबा 2 बीघा	

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

3 बिस्वा के अनुसार नक्शाशीट में किया जाना उचित होगा। पूर्व नक्शाशीट में खसरा नंबर 230 चारागाह भूमि में से गै0मु0 रास्ता आवंटन होकर बालाजी रोड से खसरा नंबर पुराना 224की पश्चिम मेड तक दर्ज रिकॉर्ड था। तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 12.01.2005 को जारी नक्शाशीट नकल में खसरा नंबर 230/1/3 गै0मु0 रास्ता बालाजी रोड से चालू होकर पुराना खसरा नंबर 227 की दक्षिणी मेड से लगता होकर खसरा नंबर 224 की पश्चिमी मेड तक दर्ज किया हुआ है। उपरोक्त अनुसार हाल नक्शाशीट में हाल खसरा नंबर 382 में होकर बालाजी रोड से खसरा नंबर 384 की दक्षिणी मेड से लगते हुए खसरा नंबर 386 की पश्चिमी मेड तक रास्ता दर्ज किया जाना उचित होगा। हाल नक्शाशीट में खसरा नंबर 389 रकबा 0.06 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि नक्शाशीट में खसरा नंबर 389 की आकृति खेतनुमा बनी हुई है जो कि गलत है अतः खसरा नंबर 389 की नक्शाशीट में दर्ज वर्तमान तरमीम को निरस्त फरमाते हुए खसरा नंबर 382 में होकर दर्ज किये जाने के वाले रास्ते की भूमि में शामिल किया जाना उचित होगा। वर्तमान नक्शाशीट में दर्ज खसरा नंबर 389 में मौके पर कोई रास्ता नहीं है।

बहस प्रार्थना पत्र प्रार्थी अधिवक्ता का मनन किया गया। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, तहसीलदार सिकराय द्वारा पेश रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट में साबिक नक्शा शीट एवं वर्तमान नक्शाशीट में अंतर होना जाहिर किया है जिसके संबंध में भू–प्रबंध विभाग का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए मुताबिक रिपोर्ट रास्ते के संबंध में चाही गई दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा स्वीकार कर विवादित भूमि में रास्ते की तरमीम साबिक नक्शाशीट अनुसार किए जाने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिए जाते है। तहसीलदार सिकराय साबिक नक्शाशीट अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करें। पालना हेतू तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौस.